

(क)	विभाग के 22-9-1988 के कांज़ा सं 12027/39/88-रांभा	05
(ख-2)	के अनुसार कार्यसूची तैयार करके उस पर विचार/चर्चा	
(ख)	सभी मर्दों पर परिणामपरक चर्चा	05
3. कार्यवृत्त जारी करना:		10
(क)	बैठक के 15 दिन के अन्दर जारी करना	10
(ख)	16 दिन से 30 दिन के अन्दर जारी करना	08
(ग)	30 दिन के बाद जारी करना	05
4. तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा:		15
(क)	80% से अधिक कार्यालयों की रिपोर्ट की समीक्षा	15
(ख)	50% से 80% अधिक कार्यालयों की रिपोर्ट की समीक्षा	10
(ग)	50% से कम कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा	05
5. सदस्य कार्यालयों की उपस्थिति:		20
(क)	80% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति जिनमें कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति आधे से अधिक हो	20
(ख)	80% से अधिक सदस्य कार्यालयों की उपस्थिति जिनमें प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति आधे से कम हो	15
(ग)	सदस्यों की उपस्थिति 70% से 80% के बीच	14
(घ)	सदस्यों की उपस्थिति 60% से 70% के बीच	12
(ङ)	सदस्यों की उपस्थिति 50% से 60% के बीच	10
(च)	सदस्यों की उपस्थिति 50% से कम होने पर	06
6. कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई:		10
(क)	सभी मर्दों पर अगली बैठक से पूर्व अनुवर्ती कार्रवाई पूर्ण करने पर पूर्णांक दिए जाएंगे। यदि कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है तो उसी अनुपात में अंक कम कर दिए जाएंगे।	
	उदाहरणार्थ: यदि चार मर्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित थी और तीन मर्दों पर पूरी हुई है तो $3/4 \times 10 = 7.5$ अंक दिए जाएंगे।	
7. समिति द्वारा किए गए कार्यकलाप:		20
(क)	सदस्य कार्यालयों द्वारा हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह का आयोजन (यदि 80% से अधिक कार्यालयों द्वारा यह मनाया गया तो 5 में से 5 अंक और 80% से कम के लिए 3 अंक)	05
(ख)	समिति द्वारा लेख प्रतियोगिता, टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता, संयुक्त कार्यशाला आदि का आयोजन	05
(ग)	समिति द्वारा वार्षिक समारोह, वार्षिक कार्यक्रम या नगर स्तर पर किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन एवं पत्रिका का प्रकाशन	05
(घ)	समिति द्वारा राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता का आयोजन	05
	कुल अंक	100